बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 72/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं अवधि –

1. वन्दना प्रेयशी, जिला पदा0 वर्ष 10–11 से जनवरी 2013 तक।
2. बाला मुरूगन डी, जिला पदा0 जनवरी 13 से अद्यतन।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा0 का नाम पदनाम एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं अविध –

1. श्री अनिल कुमार सिंह राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी दि0– 11.3.10 से 23.7.12 तक।
2. श्री भोला रविदास, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदा0 दिनांक-- 24.7.12 से अद्यतन्।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/ कर्म0 का नाम पदनाम एवं कार्यकाल – श्री राजीव कुमार झा,

लिपिक सह रोकड़पाल।

(छ) अंकेक्षकों के नाम – (1) मो0 जावेद अनवर, व0 अं0–2

(2) श्री उदय शंकर, व0 अं0–2

(3) श्री सतीश कुमार गुप्ता, व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 09.08.2014

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 05.01.2015

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $27\frac{1}{3}$ कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि – विभागीय आदेश सं0 – 371 दिनांक– 19.12.13 एवं विभागीय आदेश सं0 3286 वि0 अं0 15.9.60 में निहित निदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

(iii) अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र :– डाकघर में बचत के बारे में जनता को जागरूक करने में उद्धेश्य से जिला गया, अरवल एवं जहानाबाद में प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाना था।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :– राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया का मुख्य वित्तीय स्त्रोत बिहार सरकार द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से शीर्ष 2047 अन्तर्गत प्राप्त आवंटन था जिसके विरूद्ध व्यय के पश्चात् बचत राशि को कार्यालय के पत्रांक 149 दि0 $29\frac{3}{11}$ (वर्ष 10–11) एवं पत्रांक 113 एवं 114 दिनांक 28.3.12 (11–12) तथा पत्रांक 120 दिनांक 15.3.13 (वर्ष 12–13) द्वारा प्रत्यार्पण समर्पित्त किया गया था। आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

प्राप्त आवंटन के विरूद्ध निकासी सत्यापन कोषागार, गया से किया गया एवं शत् प्रतिशत् सही पाया गया।

इस कार्यालय का वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा यह तीसरा अंकेक्षण था, पूर्व में निर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके फलस्वरूप अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

महालेखाकार द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके फलस्वरूप अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए रोकड़ पुस्त एवं अन्य संगत अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया था। अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 9.8.14 को पूर्व से नगद रूप में रू0 192.00 संवरण शेष के रूप में अंकित पाया गया। कार्यालय में अभिलेख से पता चला कि यह राशि दूरभाष मद में निकासी की गई राशि की बचत राशि है जो विपत्र सं0 41/97–98 के माध्यम से निकासी की गई थी। रोकड़ पुस्त में दिनांक 7.3.11 को कुल दूरभाष विपत्र की राशि 659.00 रू0 में 192 रू0 को नगद भुगतान (467+192=659) रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अंकित किया गया था तत्पश्चात संवरण शेष शून्य था। उक्त विरोधाभास स्थिति को स्पष्ट किया जाए।

रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत /रक्ति पदों की विवरणी परिशिष्ट "ग" पर दृष्टव्य हैं।

भाग– 2

कंडिका (5) रू0 4626.00 क्रीत सामग्रियों का भण्डार पंजी में प्रविष्टी नहीं रहने के फलस्वरूप संभावित दुर्विनियोग :–

वित्तीय वर्ष 10–11 से 12–13 की अवधि में व्यय की जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि इस अवधि में कुल रू0 4626.00 का विभिन्न स्टेशनरी सामानों का क्रय किया

गया था परन्तु सामानों के क्रय से सम्बन्धित सामग्रियों के आगत एवं निर्गत की प्रविष्टी उपलब्ध भण्डार पंजी में नहीं पाया गया जो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 132 एवं 133(3) का उल्लघन हैं।

अंकेक्षण में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कर्मचारी द्वारा भूलवश प्रविष्टि नहीं की गई थी। परन्तु सामानों के वितरण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था इससे प्रतीत होता है कि कर्मचारी द्वारा क्रय सामग्री का संभावित रूप से दुर्विनियोग किया गया अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहने के कारण क्रीत सामग्रियों से सम्बन्धित राशि दुर्विनियोग के अन्तर्गत रखी जाती हैं। विवरणी परिशिष्ट "घ" पर संलग्न हैं।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि वास्तविकता की जाँचकर विपरित स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कारवाई सहित अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

कंडिका (6) यात्रा भत्ता मद में अनुमान्य दैनिक भत्ता से अधिक दर पर भुगतान की राशि रू0 128.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 10–11 की अवधि में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा– भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति के जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों को अनुमान्य दैनिक भत्ता की दर से यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 69 के विरूद्ध हैं। अधिक दर पर राशि का भुगतान किया गया था जो नियमानुसार 12 घंटे से अधिक अवधि तक मुख्यालय से बाहर व्यतीत अवधि के लिए पूर्ण दर पर दै0 भत्ता देय है जबकि 12 घंटे से कम व्यतीत अवधि के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता प्राप्त किया गया हैं। अंकेक्षण द्वारा निर्गत आपत्ति का अनुपालन सम्बन्धित व्यक्ति से राशि वसूलकर जमा किये जाने का आश्वासन दिया गया। अतः कर्मचारियों को अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य हैं। जिसकी विवरणी परिशिष्ट "च" पर संलग्न हैं।

अतः विभागीय पदा0 का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति से राशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

कंडिका (7) वैट की कटौती विपत्र से नहीं किया जाना रू0 381.25 राजस्व की क्षति :–

राष्ट्रीय बचत कार्यालय,गया के अभिश्रवों का जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि अभिश्रव सं0 3/12–13 की अवधि में राशि रू0 7625.00 (5000 पम्पलेंट 1525/रू0 हजार की दर से) छपाई के लिए मेसर्स एम0 एस0 इन्टर प्राइजेज, गया को भुगतान दिनांक 19.2.13 को किया गया था जिस पर 5 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी थी। अतः बिहार मूल्यवद्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसार सरकारी खरीद पर वैट 5 प्रतिशत की दर से रू0 381.25 की कटौती विपत्र से की जानी चाहिए थी और संबंधित राशि शीर्ष 0040 अन्तर्गत कोष में जमा की जानी चाहिए परन्तु अंकेक्षण में ऐसा नहीं पाया गया जो उपरोक्त नियम का घोर उल्लंघन हैं।

इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः विभागीय पदा0 का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म से उपर्युक्त क्षति राशि की राशि वसूली कर सरकारी कोष में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

भाग–3 (सुझावात्मक)

कंडिका (8) लक्ष्य से कम उपलब्धि 135.39 लाख :–

(क) राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया का संगत अभिलेखों से जाँच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10–11 से 12–13 के दौरान विभाग द्वारा बचत की राशि के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नवत् पाया गया :–

क्रम सं0	वर्ष	लक्ष्य (रू0 करोड़ में)	उपलब्धि (रू0 करोड़ में)	प्रतिशत उपलब्धि

1	2010–11	109	77.84	71.41 %
2	2011–12	94	30.84	32.81 %
3	2012–13	64	22.93	35.81 %
	कुल	267	131.61	

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से लक्ष्य उपलब्धि की प्रतिशतता में कमी होती गई जो 71.41 प्रतिशत से घटकर 35.81 प्रति0 रह गई जबकि 2010–11 के बाद लक्ष्य की राशि में भी कमी होती रही। (109 करोड़ से घटकर 64 करोड़)

अंकेक्षण द्वारा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि विभाग द्वारा डाकघर में बचत हेतु जो राशि विज्ञापन प्रचार हेतु आवंटित किया गया था उसकी उपेक्षा की गई एवं आवंटित राशि का उपयोग प्रचार प्रसार पर नहीं किया गया था एवं विज्ञापन, प्रचार प्रसार का कार्य के विभाग द्वारा उपेक्षित किया गया हैं। विवरणी परिशिष्ट "ख" के अवलोकन से यह पता चलता है कि गया जिला, अरवल एवं जहानाबाद जिला में प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाना था जिसे अरवल में विगत दो वर्षो (11–13) में तथा जहानाबाद में वर्ष 11–12 में होने प्रचार प्रसार का कार्य नहीं किया गया था एवं आवंटित राशि का उपयोग न होने के कारण राशि का प्रत्यार्पण किया गया था।

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि डाकघर में जनता को बचत हेतु प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रेरित किया जाय एवं आवंटित राशि का इस कार्य पर शत् प्रतिशत् उपयोग किया जाय जिससे सरकारी कार्य क़े उद्धेश्य की प्राप्ति हो सकें।

कंडिका 8(ख) भण्डार पंजी का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :–

अंकेक्षण में यह पाया गया कि भण्डार का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण वर्ष 10–11 से 12–13 की अवधि में नहीं किया गया था जो बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 143 के विरूद्ध हैं।

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि कार्यालय प्रधान द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार पुस्त का भौतिक सत्यापन किया जाय एवं इसके अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी सूचित किया जाय।

(ग) रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :–

अंकेक्षण में यह पाया गया कि रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण वर्ष 10–11 एवं 11–12 तथा 12–13 में नहीं किया गया था जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 305(क) के विरूद्ध हैं।

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि नियमानुसार प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को रोकड़ पंजी के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाय एवं अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) मंजु कुमारी, व0 अं0–2

(2)

परिशिष्ट –'क'

प्रतिवेदन के कंडिका –1'ट' से सम्बन्धित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 से 12–13 तक
2. विपत्र पंजी वर्ष 10–11 से 12–13 तक
3. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 10–11 से 12–13 तक
4. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति वर्ष 10–11 एवं 12–13 तक
5. आकस्मिकता पंजी वर्ष 10–11 से 12–13 तक
6. आवंटन पंजी 10–11 से 12–13 तक
7. आवंटन से सम्बन्धित संचिका
8. अभिश्रवों की कार्यालय प्रति 10–11 से 12–13 तक।
9. विज्ञापन, प्रचार प्रसार से सम्बन्धित संचिका (10–11 से 12–13 तक)
10. भण्डार पंजी 10–11 से 12–13 तक।

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 2(iv) से सम्बन्धित

राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया से सम्बन्धित वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन व्यय विवरणी :–

क्रम सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	वेतन	775500	679840	95660	9016.00	पत्रांक 149 दिनांक 29. 3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	जीवन यापन भत्ता	282900	391034	(–) 108134		
3	मकान भत्ता कुल–	60000 1118400.00	38570 1109384	21490 9016		
4	चिकित्सा भत्ता	8800	8800	शून्य		
5	वर्दी धुलाई भत्ता	720	720	शून्य		
6	कार्यालय व्यय	9000	9000	शून्य		
7	यात्रा भत्ता	16000	3196	12804	12804	
8	दूरभाष	9000	3619	5381	5381	
9	वर्दी	1500	642	858	858	

राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया से सम्बन्धित वर्ष 11–12 में प्राप्त आवंटन व्यय विवरणी :–

क्रम सं0	मद का नाम	वर्ष 11–12 में प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष बचत	प्रत्यार्पण राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन	961400	941850	19550	19550	कार्यालय पत्रांक 113 दिनांक 28. 3.12 द्वारा प्रत्यार्पित
2	जीवन यापन भत्ता	747300	798975	(–)51675	(–)51675	
3	मकान भत्ता	107300	43143	64157	64157	
4	चिकित्सा भत्ता	11200	11553	(–) 353	(–) 353	
5	वर्दी धुलाई भत्ता	720	720	शून्य	शून्य	
6	यात्रा भत्ता	24000	13602	10398	10398	
7	कार्यालय व्यय	10000	5327	4673	4673	
8	दूरभाष	10000	2575	7425	7425	
9	वर्दी	1500	–	1500	1500	
	कुल –	1873420	1817745	55675	55675	

प्रचार एवं विज्ञापन

1	प्रचार एवं विज्ञापन गया जिला	25000	24999	01	01	कार्यालय पत्रांक 114 दिनांक 28. 3.12 द्वारा प्रत्यार्पित
2	प्रचार एवं विज्ञापन जहानाबाद	15000	–	15000	15000	
3	प्रचार एवं विज्ञापन अरवल	15000	–	15000	15000	

राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया से सम्बन्धित वर्ष 12–13 में प्राप्त आंवटन व्यय विवरणी :–

क्रम सं0	मद का नाम	वर्ष 12–13 में प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	शेष बचत	प्रत्यार्पण राशि
1	वेतन	1132900	1137039	–4139	–4139
2	जीवन यापन भत्ता	807800	753470	54330	54330
3	मकान भत्ता	85000	62371	22629	22629
4	चिकित्सा भत्ता	11600	11600	शून्य	शून्य
5	वर्दी भत्ता	720	720	शून्य	शून्य
6	कार्यालय व्यय	8000	7251	749	749
7	यात्रा भत्ता	28500	12099	16401	16401
8	दूरभाष	5000	3469	1531	1531
9	वर्दी	1500	1268	232	232
10	गया जिला प्रचार एवं विज्ञापन	30000	30000	शून्य	शून्य
11	जहानाबाद जिला प्रचार एवं विज्ञापन	25000	25000	शून्य	शून्य
12	अरवल जिला प्रचार एवं विज्ञापन	20000	–	20,000	20,000
		2156020	2044287	111733	111733

प्रत्यार्पण पत्रांक 120 दिनांक 15.3.13

परिशिष्ट"ग" कंडिका –4 से सम्बन्धित

राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया से सम्बन्धित स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी :–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कम/अधिक
1	राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदा0	01	01	–
2	सहायक राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदा0	02	01	01 कम
3	लिपिक	02	01	01 कम
4	आदेशपाल	01	शून्य	01 कम

परिशिष्ट "घ" कंडिका–5 से सम्बन्धित

वित्तीय वर्ष 2010–11 राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया कृत सामग्रीयों का भण्डार पंजी में आगत एवं निर्गत प्रविष्टी नहीं रहने से सम्बन्धित कुल रू0 2416.00 की विवरणी :–

क्र0 सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	दुकान का नाम	क्रय किये गये वस्तु का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	कुल भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्यु0
1	8/10–11	7/10–11	मे0 आई0 एस0 इन्टर प्राईजेज तिलहा महावीर स्थान, गया।	सादा कागज कार्बन	15 जिस्ता 2 पैकेट	40/जि0 140/पैकेट	210.00 280.00	अस्पष्ट	
							490.00		

वित्तीय वर्ष 11–12 में राष्ट्रीय बचत कार्यालय, गया का कृत सामग्रियों का भण्डार पंजी में आगत एवं निर्गत प्राविष्टि नहीं रहने से सम्बन्धित विवरणी :–

क्र0 सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	दुकान का नाम	क्रय किये गये वस्तु का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	कुल भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्यु0
						B.F	490.00		
1	17/11–12	4/11–12	मे0 चन्द्रा स्टेशनर्स मिर्जा गालिव मार्केट, गया	सादा कागज	1 जिस्ता	15/जिस्ता	15.00	25.4.11	
2	26/11–12	30/11–12	मे0 श्यामा स्टोर्स मिर्जा गालिब मार्केट, गया	फ्लाई लीफ प्लास्टिक कवर इरेजेक्स	40 पीस 30 पीस 1 पीस	5/ पीस 8 /पीस 35/पीस	200.00 240.00 35.00	6.8.11 6.8.11 6.8.11	
3	26/11–12	33/11–12	मे0 श्यामा स्टोंस	सादा कागज	1 रीम	280/रीम	280.00	3.10.11	

			मिर्जा गालिब, मार्केट, गया।	कर्बन पेन	1 पैकेट 12 पीस	160 / पै0 3 / पीस	160.00 36.00	3.10.11 3.10.11	
4	26 / 11–12	38 / 11–12	मे0 श्याम स्टोंस मिर्जा गालिब मार्केट, गया	A_4 कागज	3 पैकेट	160 / पैकेट	480.00	10.11.11	
5	26 / 11–12	45 / 11–12	तदैव	फैन्सी रजिस्टर क्लौथ बाईडिंग टैग	2 पीस 10 पैकेट 10 गुच्छा	80 / पीस 22 / पैकेट 10 / गुच्छा	160.00 220.00 100.00	17.12.11 17.12.11 17.12.11	
6	26 / 11–12	47 / 11–12	मे0 श्यामा स्टोर्स मिर्जा गालिब मार्केट, गया	रजिस्टर 1 क्वाटर रजिस्टर 2 क्वाटर बोंड फाईल गोंद	10 पीस 10 पीस 25 पीस 700एम0 एल0	15 / पीस 22 / पीस 4 / पीस 55 / पीस	150.00 220.00 100.00 165.00	5.1.12 5.1.12 5.1.12 5.1.12	

					3 पीस				
7	26/11–12	49/11–12	तदैव	पीन कुशन पेन स्टैण्ड	2 पीस 1 पीस	25/पीस 260/पीस	50.00 260.00	5.1.12	
8	13/12–13	3/12–13	तदैव	फ्लाई लीफ टैग इरेजेक्स लिफाफा	50 पीस 2 पीस 1 पीस 50 पीस	6/पीस 10/गुच्छा 30/पीस 1/पीस	300.00 20.00 30.00 50.00	27.9.12	
9	13/12–13	4/12–13	तदैव	गोंद सादा कागज कार्बन	1 बोतल 1 रीम 1 पै0	55/बोतल 320/रीम 160/पै0	55.00 320.00 160.00	27.9.12	
10	13/12–13	5/12–13	तदैव	रजिस्टर गोंद ट्यूब पैड	3 जिस्ता 6 पीस 2 पीस 2 पीस	30/पीस 20/पीस 55/पीस	180.00 40.00 110.0	27.9.12	
						कुल–	4626.00		

परिशिष्ट "च" कंडिका 6 से सम्बन्धित

वर्ष 10–11 में कर्मचारियों को अनुमान्य दर से अधिक भुगतान की गई दैनिक मात्रा की राशि से सम्बन्धित विवरणी :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	मूल वेतन (ग्रेड पे सहित)	विपत्र सं0	प्रस्थान			आगमन			भुगतीत राशि एवं भुगतान तिथि	अनुमान्य राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
				दिनांक	स्थान	समय	दिनांक	स्थान	समय			
1	श्री दुर्गा मांझी (लिपिक सह टंकक)	12770 /	26 / 10–11	6.4.10 6.4.10	गया जहानाबाद	10A.M 6 A.M	6.4.10 6.4.10	जहानाबाद गया	12A.M 8 P.M	90.00 29.3.11	45.00	45.00
2	श्री रविन्द्र सिंह (आदेशपाल)	10790 /	26 / 10–11	1.4.10 2.4.10	गया जहानाबाद	10A.M 8 A.M	1.4.10 2.4.10	जहानाबाद गया	1P.M 10 A.M	110.00 29.3.11	82.00	28.00

	"	"	"	15.10. 10 15.10. 10	गया जहानाबाद	8A.M 6 P.M	15.10. 10 15.10. 10	जहानाबाद गया	10 A.M 8 P.M	55.00 29.3.11	27.50	27.50
	"	"	"	26.10. 10 26.10. 10	गया जहानाबाद	11A.M 8 P.M	26.10. 10 26.10. 10	जहानाबाद गया	1 P.M 10 P.M	55.00 29.3.11	27.50	27.50
											कुल–	128.00